न्यायालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।

निगरानी संख्या –106 वर्ष 2010–11 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम।

श्री ज़हूर अहमद पुत्र मौ0 सद्दीक व मन्सूर अली पुत्र नासीर अहमद, निवासीगण मोरोवाला, देहरादून।

–निगरानीकर्तागण।

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार बज़रिये कलेक्टर, देहरादून व नगर निगम, देहरादून बज़रिये मुख्य नगर अधिकारी।

–विपक्षीगण।

बावत

गाटा सं0–144क रक्बा 0.1830 है0 व गाटा सं0 145 रक्बा 0.2700 है0 स्थित ग्राम ब्राह्मणवाला, परगना पछवादून तहसील व ज़िला देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी सहायक कलेक्टर(प्रथम श्रेणी), देहरादून द्वारा वाद संख्या–2 वर्ष 2010–11 अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 13 मई, 2011 के विरूद्व दायर की गई है जिस द्वारा सहायक कलेक्टर(प्रथम श्रेणी), देहरादून ने निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र दिनांक 31 मार्च, 2010 अस्वीकृत कर दिया था।

उभय पक्षों के तर्क सुने गये। मूल वाद की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थना पत्र के साथ निगरानीकर्ता ने निम्न दस्तावेज प्रदत्त किए :–

(i) बन्दोबस्ती नक्शा 1400 फसली

(ii) प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी 1360 फसली

(iii) फर्द मुताबिकत 1400 फसली

(iv) प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा 1345 फसली

इस प्रकार विदित है कि प्रार्थना पत्र दाखिल करते समय की खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल नहीं की गई। मूल वाद की पत्रावली पर ग्राम ब्राह्मणवाला की खतौनी फसली वर्ष 1414–19 का उद्हरण उपलब्ध है जिसमें खाता संख्या–348 में निगरानीकर्ताओं का नाम दर्ज है परन्तु विवादित भूमि इस खाते में निगरानीकर्ताओं के नाम दर्ज नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना करते समय निगरानीकर्ता विवादित भूमि के भूमिधर नहीं थे।

धारा–33 में त्रुटियों व लोपों का सुधार कल्पित है तथा स्पष्ट किया गया है कि "the power to record a change under clause (b) shall not be construed to include the power to decide a dispute involving any question of title "। प्रस्तुत मामले में निगरानीकर्ता विवादित भूमि के खातेदार नहीं हैं परन्तु विवादित भूमि के स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। स्पष्टतः यह प्रार्थना भू–राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 में पोषणीय नहीं है।

उपरोक्तानुसार निगरानी अस्वीकृत की जाती है।

देहरादून,
08 अक्टूबर, 2013

(सुनील कुमार मुदद्)
अध्यक्ष।